

प्रति,

जन सूचना अधिकारी  
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

दि. 27.9.16

62237  
20/9

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के  
अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु।

महोदय जी

मैं सूचना के अधिकार अधिनियम  
2005 के अंतर्गत निम्न सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ।

① अनिच्छित अधिसूचना (रेलवे) अपनी वेबसाइट  
से अधिनियम कितनी दूरी तक प्राइवेट आवास ले  
सकता है।

② यदि उल्लेख पोलिंग स्थल (फुटि, स्टेशन)  
पर उपर्युक्त आवास (R.B. 3, R.B. 4) उपलब्ध  
नहीं है तो इस स्थिति में अधिनियम कितनी दूरी  
पर आवास लिया जा सकता है।

③ यदि उल्लेख पोलिंग स्थल (फुटि, स्टेशन) पर  
उपर्युक्त आवास (R.B. 3, R.B. 4) नहीं है तो क्या  
अनिच्छित अधिसूचना (रेलवे) नजदीक के स्टेशन जहाँ  
पर ये आवास उपलब्ध है वहाँ पर रहने अ-  
पात्र है।

यदि पात्र है, तो वह नियम स्वयं  
करने की हया करें।

मैं यह जानकारी निम्न पते पर  
प्राप्त करना चाहता हूँ।

श्री. Admin

शिव कुमार दुब (Mach)  
कटरवा स्टेशन के सामने  
शुभानंद दाल मिल के पास  
गांधी नगर इलाहाबाद (UP)

फोन: 461111

संलग्न: 20 10 फूलों का भारतीय फोल्डर आई